संख्या-196/2022/730/ 41-2022-221(बजट)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 30 मार्च, 2022

विषय:-काशी के तीन खण्डों के अन्तरगृही परिक्रमा के रास्तें के विकास तथा उन पर पड़ने वाले धार्मिक स्थलों पर उच्चगुणवत्ता युक्त बोर्ड/बाल पेंन्टिंग/साइनेज/लाइटिंग आदि लगाने के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार सडक सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8258/6-1-1/(1310)/2021-22, दिनांक 23 मार्च, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत हेतु शासनादेश संख्या-630/2021/आई/115579/ 41-1099/106/2021-221(बजट)/2021, दिनांक 22 नवम्बर, 2021 द्वारा काशी के तीन खण्डों के अन्तरगृही परिक्रमा के रास्तें के विकास तथा उन पर पड़ने वाले धार्मिक स्थलों पर उच्चगुणवत्ता युक्त बोर्ड/बाल पेंन्टिंग/साइनेज/लाइटिंग आदि लगाने के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार सडक सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था-यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा गठित किये गये आगणन के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत के अनुसार निम्नवत् प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त सहित प्रदान की गयी है कि संकेतक/सूचना पट का कार्य स्थानीय नगर निगम/विकास प्राधिकरण से करवाया जायेगा :-

| क्र0 | परियोजना का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति रू0 लाख में | प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति रू0 लाख में |
|---|---|---|---|
| 1 | अन्तरगृही परिक्रमा पथ ओंकारेश्वर खण्ड | 128.24 +जी0एस0टी0 | 10.00 |
| 2 | अन्तरगृही परिक्रमा पथ विश्वेश्वर खण्ड | 116.73 +जी0एस0टी0 | 08.00 |
| 3 | अन्तरगृही परिक्रमा पथ केदारेश्वर खण्ड | 152.83 +जी0एस0टी0 | 10.00 |

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 23.03.2022 द्वारा प्रायोजना हेतु अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, लेबर सेस जमा कराये जाने का साक्ष्य/प्रमाण पत्र, भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, बार चार्ट, तकनीकी स्वीकृति, एवं रख-रखाव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत चालू प्रायोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-630/2021/आई/115579/ 41-1099/106/2021-221(बजट)/2021, दिनांक 22 नवम्बर, 2021 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीक़ृति में से मार्ग संकेतकों एवं सूचना पट्टों हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत को घटाते हुए निम्नवत् संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति एवं द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति इन शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है कि प्रश्नगत प्रायोजनाओं में मार्ग संकेतकों एवं सूचना पट्टों के कार्य हेतु आंकलित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी/**SADA** मिर्जापुर को देते हुए नियमानुसार कार्य कराने का कष्ट करें तथा प्रायोजनाओं की अगली किश्त की मांग प्रेषित करते समय 24 बन्दुओं की सूचना, टेण्डर लागत एवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदों का वास्तविक व्यय विवरण तथा प्रयोजना में अन्तरनिहित कार्यों को किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि से पूर्व में नहीं कराये जाने का प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा :-

| क्र0 | परियोजना का नाम | शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2021द्वारा दी गयी प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि (रू0 लाख में) | संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति (रू0 लाख में) | द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अन्तरगृही परिक्रमा पथ ओंकारेश्वर खण्ड | 128.24 +जी0एस0टी0 | 97.84 + जी0एस0टी0 | 50.00 |
| 2 | अन्तरगृही परिक्रमा पथ विश्वेश्वर खण्ड | 116.73 +जी0एस0टी0 | 93.47 +जी0एस0टी0 | 50.00 |
| 3 | अन्तरगृही परिक्रमा पथ केदारेश्वर खण्ड | 152.83 +जी0एस0टी0 | 116.73 +जी0एस0टी0 | 50.00 |

5- उक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 22-11-2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा

(4) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(8) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना में द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित), 24 बिन्दुओं की सूचना, टेण्डर लागत एवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदों का वास्तविक व्यय-विवरण सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

6- प्रस्तर-4 में परियोजना हेतु प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-46-वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण -24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- प्रस्तर-4 में उल्लिखित धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी वाराणसी ।
4- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ/संबंधित कोषाधिकारी।
5- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक यू0पी0पी0सी0एल0 लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक यू0पी0पी0सी0एल0 वाराणसी यूनिट-3।
9- संयुक्त निदेशक , पर्यटन वाराणसी एवं विन्ध्याचल ।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।